अमर उजाला

नकली शराब बनाने के आरोप में पांच गिरफ्तार, अस्सी लीटर स्प्रिट बरामद

Gorakhpur, Uttar Pradesh, India Updated Mon, 31 Dec 2018 11:31 PM IST

गोरखपुर। बेलीपार पुलिस ने नकली शराब बनाने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अस्सी लीटर स्प्रिट, 1050 ढक्कन, बार कोड स्टीकर, 31 शीशी नकली देशी शराब, खाली शीशी, एक तमंचा, दो कारतूस सहित अन्य सामग्री बरामद की। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों ने पूर्व मंत्री और शराब कारोबारी पप्पू जायसवाल का नाम लिया है। एफआईआर की फर्द में पप्पू का नाम है।

नकली शराब के धंधे का पर्दाफाश एसपी साउथ ने सोमवार को पुलिस ऑफिस में किया। बताया कि सोमवार की सुबह बेलीपार थानाध्यक्ष अनिल सिंह हमराहियों के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच बाइक सवार गगहा के जगदीशपुर भलुआन निवासी दिलीप सिंह को रोककर तलाशी ली गई तो चालीस लीटर स्प्रिट बरामद हुआ। दिलीप की निशानदेही पर ही तिवारीपुर के घुनघुनकोठा निवासी राम वकील यादव, महराजगंज के बृजमनगंज के आमाकोट निवासी सुनील कुमार कन्नौजिया, महराजगंज के पनियरा थानाक्षेत्र के बरगदवां निवासी धुलेंद्र राय और कुशीनगर के बट्टा गोडरवाड निवासी लक्ष्मण गुप्ता को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में दिलीप ने खोले कई राज

एसपी के मुताबिक पूछताछ में दिलीप ने कई राज खोले और बताया कि स्प्रिट डंवरपार निवासी अर्जुन जायसवाल और उनके भतीजे विशाल जायसवाल से लेते हैं। इस स्प्रिट को अवैध शराब बनाने के लिए राम वकील यादव को देते हैं। राम वकील शराब कारोबारी और पूर्व मंत्री के देशी शराब की दुकान पर काम करता है। वह लोग पप्पू और उनके कर्मचारी देवेंद्र सिंह के कहने पर देशी शराब की शीशी में स्प्रिट भरकर नकली शराब बनाते थे। इसके बाद असली के साथ नकली शराब बेचते थे। एसपी ने बताया कि अर्जुन जायसवाल पर पहले से कई केस दर्ज हैं।

Source: https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/gorakhpur/crime/151546279298-gorakhpur-news?src=fb_share